



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड  
ब्लॉक नं. 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

क्रमांक-का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकलि/उस-एक/4927 जबलपुर, दिनांक 31.10.2015

आदेश

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 10.4.2012 द्वारा म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें उत्तरवर्ती कंपनियों में अंतिम रूप से अंतरित की गई हैं। म.प्र.पा.जन.कं.लि. में अंतिम रूप से अंतरित पूर्ववर्ती मण्डल के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं म.प्र.पां.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्त कंपनी संवर्ग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मप्रपाजकलि/स्था/2463-64 दिनांक 27.05.2015 द्वारा मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 113% (एक सौ तेरह प्रतिशत) की दर से महंगाई भत्ता देय है।


02. निर्णय लिया गया है कि कंपनी में अंतरित पूर्ववर्ती मण्डल के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं म.प्र.पां.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्त कंपनी संवर्ग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता देय होगा :-

| अवधि जब से देय है | महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह                            |
|-------------------|--|
| दिनांक 01-07-2015 | (मूल वेतन + ग्रेड वेतन) का 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) |

03. महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

04. इस आदेश के उपरान्त बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान माह अक्टूबर-2015 के वेतन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जुलाई-2015 से सितम्बर-2015 तक की अवधि की देय राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में अक्टूबर-2015, नवंबर-2015 एवं दिसम्बर-2015 के वेतन के साथ नगद किया जावेगा।

आदेशानुसार,

  
(ए.क. अवस्थी)


कार्यपालक निदेशक(मा0संसा0 एवं प्रशा0)  
म0प्र0पां0ज0कं0लि0, जबलपुर

क्रमांक-का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकलि/उस-एक/4928  
प्रतिलिपि -

जबलपुर, दिनांक 31.10.2015

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता-(संचा.संधा.-उत्पा)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल-अभियांत्रिकी)/ (सी.एस.)/ (संचा.संधा.-जलविद्युत)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (नवीनी.एवं आधुनिकी.)/ (परि.-उत्पा.), म.प्र.पां.जन.कं.लि., जबलपुर।
- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग /संगांताविग/सताविग/श्री सिंगाजी ताविपरि, म.प्र.पां.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पां.जन.कं.लि., जबलपुर।
- कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा एवं प्र), म.प्र.पां.मैने.कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
- मुख्य अभियंता (कापोरेट अफेयर्स), म.प्र.पां.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पां.जन.कं.लि., जबलपुर।
- अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-भंडार)/ (टीएचसी), म.प्र.पां.ज.कं.लि., जबलपुर/ सिरमौर।
- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/ (संचा.संधा.), म.प्र.पां.ज.कं.लि., राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/ बाण सागर-दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविग, बरगी नगर/ तोतलाडोह/चंदेरी/गांधी सागर/सिलपरा/देवलौंद/शिन्ना/शिवपुरी।
- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे. म.प्र.पां.जन.कं.लि., जबलपुर।
- वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/अताविग/संगांताविग/सताविग/श्रीसिंगाजी ताविपरि./टोंस जविग, म.प्र.पां.ज.कं.लि., जबलपुर/चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा/सिरमौर।
- निजसचिव/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध संचालक/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक(वाणिज्य) म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर।
- आदेश नस्ती।
- पेंशन शाखा/स्थापना शाखा, कार्या-कार्यपालक निदेशक(मा.सं.एवं प्रशा.) मप्र.पा.जन कं.लि., जबलपुर।

-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(पी.के. चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव  
म0प्र0पां0ज0कं0लि0, जबलपुर